

कार्यालय उप संचालक कृषि, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 02/12/2024

क्रमांक/पौ.सं./965/2024-25

प्रमाण पत्र

भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली का पत्र क्र.क./No. 13035/28/2014-PP-1 (Vol.-II), दिनांक 23.11.2015 द्वारा प्रदत्त नियमों तथा भारत का

राजपत्र (असाधारण) क्रमांक GSR 840 (डि. दिनांक 05.11.2015 जिसमें Insecticides (Amendment) Rules, 2015 निहित है, Insecticides Act, 1968 एवं Insecticides Rules 1971 के नियम 10 के उप नियम (2) में निहित

अनुज्ञापित नवीनीकरण के प्रावधान को हटाया जा रहा है।

1. कीटनाशक व्यवसायी को कृषि विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/जीवन विज्ञान/रसायन विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/प्राणी विज्ञान में किसी भी एक विषय में स्नातक डिग्री/Diploma in Agricultural Extension Services for Input Dealers (DAESI) अनिवार्य किया गया है।

इस निर्देश के परिपालन में कीटनाशक व्यवसायी मेसर्स HERBS VECTOR MANAGEMENT SERVICES

प्रोप्राइटर का नाम श्री. अभिनव कुमार मोबाइल नंबर 9825044298, 8279950665 विक्रय/भंडारण स्थल का पता H-6, लिफ्टिन, का.अ.व.व.स. रायपुर, छ.ग.

विकासखंड-....., जिला-रायपुर (छ.ग.) को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन परीक्षण उपरांत

शर्त क्रमांक-एक के पालन किसे जाने के फलस्वरूप अनुज्ञापित जारी दिनांक 23/08/2018 अनुज्ञापित क्रमांक

के प्रमाण-पत्र की दिनांक 01/12/2024 से दिनांक 01/12/2024 तक कोटनाशक व्यवसाय किसे जाने हेतु प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है कि प्रमाण-पत्र जारी दिनांक से 01 वर्ष के अंदर निर्धारित प्रारूप में (नियम 9 और नियम 10 के अधीन प्रारूप 10) जिला अनुज्ञापन अधिकारी को प्रतिलिप्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (प्रारूप पार्श्व पृष्ठ में संलग्न है) अन्यथा उक्त अनुज्ञापित स्वयंपोष

निरस्त माना जाएगा।

श्री. एस.सी./हजोमाधारी का नाम श्री. अभिनव कुमार



क्रमांक/पौ.सं./
प्रतिलिपि -
1) अनुविभागीय कृषि अधिकारी, रायपुर को सूचनाएं।
2) वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड-धरसीवा/आरंग/अमनपुर/दिल्ली को सूचनाएं।

रायपुर, दिनांक

Licensing Officer
Plant Protection
District-Raipur (C.G.)
जिला-रायपुर (छ.ग.)
Licensing Officer
Plant Protection
District-Raipur (C.G.)
जिला-रायपुर (छ.ग.)